

FORM III

फर्द अहकाम

(नियम - 26)

अज अदालत सहायक कलक्टर (फास्टट्रेक), मुकाम नीमकाथाना  
लालचन्द वनाम महिपाल वगै०

केस मुकदमा:- प्रार्थना पत्र 212 अस्थाई निषेधाज्ञा मु० न.० 108 सन् 2024 जीसीएमएस नं.  
हुकम या कार्यवाही मय इनीशियल्स जज

नम्बर व तारीख  
अहकाम जो इस  
हुकम की तामील  
में जारी हुए

024

रिपोर्ट सरिस्ता होकर प्रार्थना पत्र पेश हुआ। प्रार्थी की ओर से श्री धर्मवीर  
यादव एडवोकेट उपस्थित। प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी  
अधिनियम, 1955 दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस/  
रजिस्टर्ड सम्मन के तलव किया जावें। पत्रावली वास्ते तामील दिनांक 03.12.  
2024 को पेश हो।

सहायक कलक्टर  
फास्ट ट्रेक नीमकाथाना

3/12 पत्रावली पेश हुई। वकूलाप उपस्थित  
P.O साहब दीगर कार्य में व्यस्त है  
पत्रावली पूर्व आदेशानुसार दिनांक 13/12/24  
को पेश हो।

13/12 पत्रावली पेश हुई। अभिभाषक सध  
आज अदालती कार्य का स्थान कर  
रखा है। पत्रावली पूर्व आदेशानुसार  
दिनांक 13/12/24 को पेश हो।

13/12 पत्रावली पेश हुई। अभिभाषक सध  
आज अदालती कार्य का स्थान कर  
रखा है। पत्रावली पूर्व आदेशानुसार  
दिनांक 13/12/24 को पेश हो।

21  $\frac{4}{25}$  पत्रावली पेश इची। प्रार्थी व वकील उत्प्रे 8200।  
छाट-छाट भावाज लगायी जाते पर भी प्रार्थी  
वकील की क्षीर से कीर्त उपस्थित थी। भरत  
प्रार्थी का उत्प्रेक-फर सरिस्ता निषेधाज्ञा मय  
धजडी इदर प्रेम्बी में स्वाधीन किया जा रहा है।  
पत्रावली फेसल शुभाल डैकल नम्बर 1 का वीर  
पत्रावली पेश हो।

निर्णय ले इजलास इन्चार्ज भाग।

सहायक कलक्टर (फ.ट.)  
नीमकाथाना (सीकर)

